

सं. \ No. 38/MUM/2013

दिनांक \ Dated the 01/09/2020

सेवा मे, \ To :

Address of Service:- VIHITA CHEM PVT. LTD. 305, GIDC, ANKLESHWAR, 393002, GUJARAT, INDIA

Email Id:- patent@infinventip.com

विषय :- पेटेंट आवेदन संख्या 38/MUM/2013 के संबंध में अधिनियम की धारा 43 के तहत पेटेंट अनुदान तथा पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि की सूचना
Sub :- Intimation of the grant and recordal of patent under section 43 of the Act in respect of patent application no. 38/MUM/2013

महोदय/महोदया,
Sir/Madam,

आपको सूचित किया जाता है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 12 व 13 तथा उस आधार पर बने नियम के तहत उपर्युक्त पेटेंट आवेदन के परीक्षण [व 26/08/2020 को हुई सुनवाई] के उपरांत एतद्वारा पेटेंट अनुदान किया जाता है। तथा पेटेंट अनुदान की प्रविष्टि 01/09/2020 को पेटेंट रजिस्टर में कर दी गयी है।

This is to Inform you that following the examination of above mentioned patent application under section 12 and 13 of The Patents Act, 1970 and Rules made thereunder [and hearing held on 26/08/2020] a patent is hereby granted and recorded in the Register of Patents on the 01/09/2020. The Patent Certificate is enclosed herewith.

पेटेंट संख्या \ Patent No	: 345864
आवेदक का नाम \ Name Of Applicant	: VIHITA CHEM PVT. LTD.
पेटेंट दिनांक \ Date of Patent	: 07/01/2013
पूर्विका तिथि \ Priority Date	: 07/01/2013
परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने की तिथि \ Filing date of Request for examination	: 19/09/2015
शीर्षक \ Title	: PROCESS FOR PREPARATION OF (2-BROMO-4,5-DIMETHOXYPHENYL)-METHYL BROMIDE
दावों की संख्या \ Number of claims	: 8(Eight) as amended on 28 August 2020.

उपर्युक्त पेटेंट के अनुदान का प्रकाशन अधिनियम की धारा 43 के तहत पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक जर्नल में किया जाएगा।
The grant of above mentioned patent will be published in the Official Journal of the patent Office under section 43 of the Act.

पेटेंट अधिनियम 1970 यथा संशोधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2005/ पेटेंट नियम, 2003 यथा संशोधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2016 की धारा 142 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत उपरोक्त प्रविष्टि की तिथि से 3 माह के भीतर इस कार्यालय में नवीकरण शुल्क जमा किया जाना चाहिए।
The payment of renewal fee is required to be made at this office within three(3) months from the aforesaid date of recording according to the proviso in sub-section(4) of Section 142 of The Patents Act,1970, as amended by The Patents (Amendment) Act, 2005 / The Patents Rules, 2003 as amended by The Patents (Amendment) Rules, 2016.

Ramesh Vanaparthi
(नियंत्रक पेटेंट)
Controller of Patents

टिप्पणी / Note :

1. संशोधित नवीकरण शुल्क हेतु कृपया महानियंत्रक पेटेंट, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न की आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.gov.in पर उपलब्ध पेटेंट (संशोधन) नियम 2016 की प्रथम अनुसूची (शुल्क) देखें।

For revised renewal fees kindly refer to the First Schedule (fees) of The Patents (Amendment) Rules 2016 available on the official website of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks www.ipindia.gov.in

2. कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रमाणपत्र की कोई भी कागजी प्रति अलग से जारी नहीं की जाएगी।

No hard copy of Patent Certificate shall be issued separately by the office.